1813 ई. का चार्टर एक्ट :-

1. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ था ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। अब वे भारत में बिना रोक-टोक ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बिक्री के लिये आ सकते थे। परंतु, यह स्मरणीय है कि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था।
2. ब्रिटिश पूंजीपतियों का इस बात के लिये दबाव रहा था कि सरकार भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले ले, किंतु सरकार इस दायित्व के लिये तब तैयार नहीं थी, अतः इस चार्टर एक्ट के माध्यम से आगामी 20 वर्षों के लिये भारत के प्रशासन का दायित्व ब्रिटिश कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया।
3. ब्रिटिश उदारवादी चिंतकों के इस दावे को वैधता देने के लिये कि उनका उद्देश्य भारत को सभ्य बनाना है, भारत में वैज्ञानिक शिक्षा एवं साहित्य के प्रसार के लिये 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटन का प्रावधान लाया गया।
4. ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस लेकर धर्म प्रचार की अनुमति मिली।

1833 ई. का चार्टर एक्ट

1. इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी आधार पर विलियम बैंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
2. इसी चार्टर एक्ट के तहत विधि-निर्माण के लिये एक विधि आयोग की स्थापना की गई तथा पहले विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई।
3. इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा उन्मूलन की बात की गई। इसी आधार पर लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ई. में दास प्रथा का अंत कर दिया गया।
4. यह भी घोषणा की गई कि सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ वर्ण, जन्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

1853 ई. का चार्टर एक्ट

1. भारत का प्रशासन ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत छोड़ दिया गया था, परंतु उसके लिये किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
2. इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवा में नियुक्ति का आधार प्रतियोगिता परीक्षा को बनाया गया।
3. डायरेक्टर्स की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात की अनुमति दी गई कि वह नई प्रेसिडेंसी का निर्माण अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सके।
4. पहली बार लेजिस्लेटिव कौंसिल के गठन की घोषणा की गई।

■■■

KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna
KHAN SIR